

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज राजस्व वाद 134/2024 अनवान् भोगाराम वगैरा बनाम दगाराम वगैरा						नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
16.12.2025	वादी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी वकील की एक पक्षीय बहश सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। लिहाजा वादी का वाद व तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है।						
	कं सं.	नाम खातेदार	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
	1	भोगाराम पुत्र दुंगाराम 1/2 हिस्सा, हीराराम पुत्र दुंगाराम 1/2 कौम जाट सा. देह खातेदार	बायतु भोपजी	873/361	0.9071	बा.दो.	0.05
				873/361	1.0408	बा.दो.	0.06
				873/361	1.0700	बा.दो.	0.06
				996/590	0.6472	बा.दो.	0.04
				1001/590	4.1583	बा.दो.	0.25
				998/590	1.1366	बा.दो.	0.07
				993/586	1.5533	बा.दो.	0.09
				1015/615	3.2926	बा.सो.	0.16
	योग			08	13. 8059	—	0.78
	2	दमाराम पुत्र आईदान कौम जाट सा. देह. खातेदार रहन SBI शाखा बायतु के पक्ष में रहन	बायतु चिमनजी	873/361	3.6650	बा.दो.	0.22
				1017/615	4.3280	बा.सो.	0.26
				998/590	1.0477	बा.दो.	0.06
				993/586	1.5533	बा.दो.	0.09
				1015/615	3.2927	बा.सो.	0.16
	योग			05	13. 8867	—	0.79
	3	दमाराम पुत्र आईदान 1/2 हिस्सा, भोगाराम पुत्र दुंगाराम 1/4 हिस्सा, हीराराम पुत्र दुंगाराम 1/4 कौम जाट सा.देह (शामलाती रास्ता) खातेदार रहन —दमाराम का हि. SBI शाखा बायतु के पक्ष में रहन	बायतु चिमनजी	873/361	0.2832	बा.दो.	0.02
				1017/615	0.0406	बा.दो.	—
				1015/615	0.0970	बा.सो.	0.01
	योग			03	0. 04208	—	0.03
	4	दमाराम पुत्र आईदान कौम जाट	बायतु	873/361	0.0847	बा.दो.	—

उपस्थित अधिकारी, बायतु
जिला - बालोत्तर



	सा.देह खातेदार (H.P.पाईप लाईन) बदस्तूर SBI शाखा बायतु के पक्ष में रहन	चिमनजी				
		योग	1	0.0847	--	--
5	भोमाराम पुत्र डुगराराम 1/2 हिरसा, हीराराम पुत्र डुगराराम 1/2 हिस्सा कौम जाट सा.देह खातेदार (H.P.)पाईप लाईन	बायतु चिमनजी	873 / 361	0.0846	बा.दो.	--
		योग	1	0.0846	--	--
6	भोमाराम पुत्र डुगराराम 1/2 हीराराम पुत्र डुगराराम 1/2 कौम जाट सा.देह खातेदार (शामलाती रास्ता)	बायतु चिमनजी	1001 / 590	0.0809	बा.दो.	--
		योग	1	0.0809	--	--
7	अमेदाराम पुत्र तुलछाराम 1/5 हिस्सा, चेतनराम पुत्र तुलछाराम 1/5 हिस्सा, पेलादाराम पुत्र तुलछाराम 1/5 हिस्सा, मेहाराम पुत्र तुलछाराम 1/5 हिस्सा, लिखमाराम पुत्र तुलछाराम 1/5 हिस्सा कौम जाट सा.देह खातेदार	बायतु चिमनजी	587	0.0688	गैर.मु. ढाणी	--
		योग	1	0.0688	--	--
8	हिराराम पुत्र डुंगराराम कौम जाट सा.देह खातेदार	बायतु चिमनजी	587	0.0687	गैर.मु. ढाणी	--
		योग	587	0.0687	--	--

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव का नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें तथा साथ ही पक्षकारों के मध्य रास्ते के रूप में रखी गई शामलाती भूमि को राजस्व रेकर्ड में गैरमुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फौसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतरा

अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान R.A.S.

- वादी
1. भोमाराम पुत्र डूंगराराम
2. हीराराम पुत्र डूंगराराम
जाति जाट, निवासी बायतु चिमनजी
तहसील बायतु।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. दगाराम पुत्र आईदानराम
2. उगेदाराम पुत्र तुलछाराम
3. चेतनराम पुत्र तुलछाराम
4. पेलादराम पुत्र तुलछाराम
5. मेहाराम पुत्र तुलछाराम
6. लिखमाराम पुत्र तुलछाराम
जाति जाट, निवासी बायतु चिमनजी
तहसील बायतु।
7. तहसीलदार बायतु।

दावा बाबत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या- 134/2024

निर्णय दिनांक :- 16.12.2025

वादी की ओर से वकील श्री रामचन्द्र सऊ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.12.2025 को (नाम पीठासीन अधिकारी) कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तहसीलदार बायतु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बायतु इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(कल्पित शिवरान)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़

(कल्पित शिवरान)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला - बालोतस

